विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ
ब्लाक–चार, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक–38 (CIV)
इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

बिहान

Ph.No. 0771-2423745, e-mail - mdcgsrlm@gmail.com, yojana_prd@gmail.com

क्र.581 /वि–6/NRLM/LH/2017 नया रायपुर, दिनांक 08/05/2017

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत– राजनांदगांव/बलरामपुर/बलौदाबाजार/कांकेर/
रायपुर/गरियांबंद/सूरजपुर/सरगुजा/धमतरी/दंतेवाड़ा/नारायणपुर/
कोण्डागांव/बस्तर/रायगढ़
छत्तीसगढ़

विषय :– महिला सशक्तिकरण परियोजना एवं समुदाय आधारित संवहनीय कृषि हेतु पशु सखी पॉलिसी विषयक।

———00———

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत महिला किसान सशक्तिरण परियोजना का क्रियान्वयन राज्य के 7 जिलों के 12 विकासखण्डों एवं समुदाय आधारित संवहनीय कृषि राज्य के 14 जिले के 28 विकासखण्डों में किया जा रहा है। जिस हेतु पशु सखी पॉलिसी सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है।

(भोस्कर विलास संदीपन)
मिशन संचालक, SRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

पृ.क्र.582/वि–6/NRLM/LH/2017 नया रायपुर, दिनांक 08/05/2017
प्रतिलिपी:–

1. कलेक्टर, संबंधित जिला की ओर सूचनार्थ।

8.5.2017

मिशन संचालक, SRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
इंद्रावती भवन, नया रायपुर

//छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन//
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजन/संवहनीय कृषि अंतर्गत पशुसखी पॉलिसी

प्रस्तावना :

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने अतिगरीब की आजीविका में पशुपालन अंतर्गत छोटे पशु व पक्षियों के महत्व को समझ कर गरीब परिवार की आजीविका में छोटे पशु व पक्षियों का महत्व समझा तथा अतिगरीब परिवारों की संवहनीय आजीविका के प्राथमिक स्त्रोंत के साथ पशुपालन को समन्वित करने की गहन रणनीति विकसित की जा रही है। मिशन का गरीब परिवारों के संगठन एवं उनकी क्षमता पर दृढ विश्वास है कि ये संगठन गरीब परिवारों को गरीबी के दुश्चक से बाहर निकालने में समक्ष है इसलिये ग्राम स्तर पर सामुदाय आधारित स्त्रोत व्यक्ति समुदाय के बेस्ट प्रेक्टिशनर ही अच्छे से गरीब परिवारों को आजीविका हेतु मदद कर सकते है मिशन को मात्र इनकी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सन् 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग अनुसंशा अनुसार के अनुसार प्रत्येक 5000 गौवंशीय पशुओ पर एक पशु चिकित्सक होगा परन्तु 2003 की पशु जनगणना के अनुसार यह अनुपात 1:10000 हो गयष जिसमें छोटे–टोटे पशुओं की संख्या शामिल नही है जो कि अतिगरीब परिवारों का आजीविका मुख्य आधार है। छोटे एवं बड़ें पशुओ का अनुपात 1:1 को है। अतः इससे स्पष्ट है कि पशुपालन हेतु उपलब्ध विस्तार तंत्र के माध्यम से पशुपालन सुविधाये पूरा करना संभव नही है।

पशुपालन हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना/संवहनीय कृषि की पहलः

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा विशेष कार्यक्रम महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2010–11 के माध्यम से आजीविका संवर्धन एवं गरीबी उन्मुलन की पहल की है। कृषि में सुव्यवस्थित तरीके सये महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की कल्पना की तथा ग्रामीण गरीब परिवारों संवहनीय कृषि आधारित आजीविका विकसित की जा सके।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का मुख्य ध्येय कृषि एवं सहबद्ध गतिविधि आधारित संवहनीय आजीविका संगठन, सेक्टर विशेष बेस्ट पैकेज ऑफ प्रेक्टीसेस का विकास तथा समुदाय आधारित स्त्रोत व्यक्तियों का रिसोर्स पुल के माध्यम से आजीविका गतिविधियों का देश व्यापी विस्तार करना है। कार्यक्रम अंतर्गत कृषि, NTFP व पशुपालन आधारित संवहनीय कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने की रणनीति है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का कियान्वयन देश के **13** राज्यों के **117** जिलों में **60** NGO, 22 CBO & 3 SRLM के माध्यम से किया जा रहा है। एम.के.एस.पी. के कुछ पार्टनर ने आजीविका संवर्धन के लिये कृषि के साथ सहबद्ध गतिविधि पशुपालन का कियान्वयन समुदाय आधारित स्त्रोत पर्सन के माध्यम से करने की पहल की है।

ग्राम स्तर पर पशुपालन विकास हेतु

पशु सखी मॉडल का उद्देश्य :

इस प्रस्तावित पशु सखी मॉडल का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार की पशुपालन आधारित आजीविका को संवहनीय एवं व्यवहार्य उद्यम बनाना है। इस मॉडल में विशेष रूप से अति गरीब परिवार जिनके पास भूमि एवं उत्पादन के संसाधन नही है पर कार्य किया जायेगा। इस हेतु समुदाय आधारित अच्छे प्रेक्टिसनर अर्थात समुदाय आधारित स्त्रोत व्यक्ति ''सी.आर.पी.'' तैयार करना होगे जोकि समुदाय आधारित संगठन के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेय होंगे। जिससे प्रचलित पशुपालन आधिारित आजीविका को मजबूत करना जिससे गरीब परिवार की आजीविका में प्रभाव परिलक्षित हो सके।

मुख्य रणनीतिः

पशुपालन आधारित आजीविका गतिविधि के सशक्तिकरण हेतु प्रत्येक 50 से 100 पशुपालन करने वाले परिवारों पर एक पशु सखी रखना है जो कि प्रत्येक गरीब परिवार को घर स्तर पर पशु देखभाल की सुविधाये उपलब्ध करायेगी। पशु सखी स्वयं सहायता समूह के सक्रिय सदस्यों में से पशु सखी का चयन कर विशेषज्ञ संस्था जिसके पास पशु देखभाल, पौष्टिक, पशु आवास, स्वच्छता, आयुर्वेदिक उपचार पद्धति एवं समुदाय पशु बीमा का अनुभव हो के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षित पशु सखी को कम से कम 02 वर्ष तक सतत सहयोग विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा साथ उच्च स्तर पर जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर समन्य स्थापित कर विभागीय सहयोग जैसेः औषधि, उपकरण, शैक्षणिक सामग्री आदि का सहयोग प्रदान किया जायेगा। पशु सखी को आकस्मिक परिस्थिति में सहयोग हेतु रेफरल सिस्टम विकसित कर जटिल बीमारी, बीमारी का प्रकोप होने पर पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर टीकाकरण, उचार में मदद करेंगा। पशु सखी स्वयं सहायता समूह/ग्राम संगठन को रिपोर्ट करेगी। आजीविका मिशन केवल पशु सखी के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास में सहयोग प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन/महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के सहयोगियों के द्वारा पशु सखी के माध्यम से पशुपालको के प्रशिक्षण का पारिश्रमिक ग्राम संगठन के माध्यम से कार्य के आधार पर दिया जावेगा।

पशु सखी अपेक्षित प्रमुख लाभः

पशु सखी मॉडल के माध्यम से गरीब परिवारों की आय में पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से आय में बढ़ोत्तरी अपेक्षित है साथ ही पशुपालको में पशुपालन से संबंधित निम्नलिखित प्रभाव होंगेः

1. पशुपालकों में जागरूकता एवं वैज्ञानिक विधि से पशुओं के रखरखाव, प्रबंधन, आवास, पौष्टिक आहार आदि से उत्पादन में वृद्धि होगी।
2. पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी क्योंकिः
   - मृत्यु दर में कमी।
   - उन्नत पशु स्वास्थ्य, आवास एवं भोजन, टीकाकरण एवं कुमिनाशक के कारण पशूओं के बच्चे एवं चूजो में वृद्धि होगी।
   - बीमारियों के प्रकोप/हमले की संभावना कम होगी।
3. नियमित पौष्टिक भोजन, कृमिनाशक से पशुओं एवं पक्षियों की वजन में बढ़ोत्तरी से उत्पादन में वृद्धि होगी और बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी।

पशु सखी के हस्तक्षेप से समूह के परिवारों की आय की अपेक्षा –

1. दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता अवधि में 30 दिन की बढ़ोत्तरी तथा प्रति दिन अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी से अतिरिक्त 6500 रू. की आय।
2. छोटे पशु जैसे बकरी पालन अंतर्गत उपभोग एवं बेचकर प्रथम वर्ष 6750 एवं 15000 रू की आय प्राप्त हो सकेगी।
3. बेकयार्ड मुर्गीपालन में पक्षियों के बेहतर रखरखाव जैसे– टीकाकरण, कृमिनाशक, पौष्टिक आहार, स्वच्छ आवास, पेयजल आदि के माध्यम से मुगियों का उत्पादन एवं संख्या में बढ़ोत्तरी होने से प्रथम वर्ष में 4042 एवं द्वितीय वर्ष मं 10000 की आय आपेक्षित है।

   अर्थात पशुपालन में पशु सखी के प्रचलन में आने से गरीब परिवार को वर्ष में कम से कम 18000 रू. की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी साथ ही उपयोग से परिवार में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होगी।

पशु सखी कार्यक्षेत्र :–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गरीब परिवारों की संवहनीय आजीविका के लिये कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र में आजीविका संवर्धन हेतु विभिन्न योजना संचालित की जा रही है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के माध्यम से महिला कृषकों की क्षमता विकास कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयार किया जा रहा है। इसी कढ़ी में देश के 05 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड एवं जम्मू–कश्मीर में समुदाय आधारित संवहनीय कृषि हेतु सी.आर.पी. के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। अतः प्रांरम्भिक स्तर पर एम.के.एस.पी एवं सी.एम.एस.ए. ग्रामों के छोटे पशु एवं पक्षियों के रखरखाव एवं प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, कृमिनाशक, आवास, पौष्टिक आहार आदि के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाकर गरीब परिवारों की आय में वृद्धि स्थानीय सीआरपी अथवा समुदाय पशु सुविधा प्रेरक अर्थात पशु सखी प्रत्येक ग्राम या 50 से 100 परिवारों की दर से ग्राम संगठन के माध्यम से तैयार की जा सकती है। उक्त पशु सखी ग्राम संगठन के संसाधन के रूप में ग्राम में अपनी सुविधाएँ ग्राम संगठन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क पर प्रदान करेगी।

पशु सखी चयन के आधार एवं मॉपदण्ड :–

1. लक्षित ग्राम की स्वयं सहायता समूह की गरीब सक्रिय सदस्य हो।
2. भूमिहीन सदस्य जो छोटे जानवर एवं पक्षी जैसे– बकरी एवं मुर्गी आदि का पालन करती हो। या स्वयं सहायता समूह / ग्राम संगठन द्वारा तय आधारों से चयनित कर सकती है।
3. ऐसी पशुपालन जिसको कम से कम 3 से 4 वर्ष का पशुपालन का अनुभव हो।
4. ऐसी सक्रिय सदस्य जिसमें नेतृत्व एवं संचार की क्षमता है तथा समुदाय के साथ कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति हो।
5. चयनित सदस्य कम से कम 8वीं पास हो यदि उस गांव में 8वी पास महिलाएँ नहीं है तो शिक्षित सदस्य जो लिखना एवं पढ़ना जानती हो का अवसर दिया जा सकता है।
6. यह सदस्य दूसरे सीआरपी के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
7. महिला की उम्र 21 से 40 वर्ष के मध्य हो जिससें वह सक्रियता के साथ कार्य कर सके।
8. जिला एवं जिले के बाहर प्रशिक्षण लेने एवं देने की क्षमता रखती हो साथ ही उसके परिवार की सहमति हो।

पशु सखी का कार्य एवं दायित्व :–

1. समुदाय स्तर पर पशुपालकों में रोग निरोधक (टीकाकरण एवं कृमिनाशक) तथा अच्छे पशु पालन हेतु आवास, स्वच्छता एवं आहार पर जागरूकता पैदा करना
2. टीकाकरण, कृमिनाशक, प्राथमिक उपचार करना एवं स्थानीय जड़ी बूटी के माध्यम से मुर्गी एवं पशुओं का उपचार करना।
3. पशु आहार निर्माण एवं संतुलित पशु आहार के जानकारी पशुपालकों को प्रदर्शन के माध्यम से देना।
4. पशुपालकों को बाजार में बेचने योग्य आवश्यक वनज एवं उम्र, आहार रूपांतरण अनुपात, बाजार मूल्य आदि पर पशुपालकों का सलाह देना।
5. पशुपालकों को जागरूक करने हेतु माह में 2 बार पशु पाठशाला का आयोजन करना।
6. पशुसखी पशुओं का जड़ी बूटी आधारित प्राथमिक उपचार करने की पात्रता होगी अर्थात पशु सखी पशुओं का ऐलोपेथिक, एंटीबायोटिक से उपचार व ऑपरेशन किसी भी स्थिति में नहीं करेगें।
7. विभाग द्वारा लगने वाले पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर की सूचना देना एवं स्वयं भाग लेना।
8. चारागाह विकास एवं प्रबंधन हेतु पशुपालकों का प्रशिक्षण करना।
9. पशुपालन से संबधित शासकीय योजनाओं का जानकारी ग्रामीणें का उपलब्ध कराना।
10. नियमित रूप से समूह एवं ग्राम संगठन की बैठक में भाग लेकर प्रगति प्रस्तुत करना।
11. प्रत्येक माह कम से कम 20 परिवारों से संपर्क कर जानकारी प्रदाय करना।
12. पशु सखी ग्राम संगठन एवं स्व–सहायता समूहों की बैठक में भाग लेगी।
13. एमआईएस हेतु आधारभूत आंकडा इक्कठा करना।
14. पशुओं में नस्ल सुधार के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।

पशु सखी मॉडल रोल आउट नियोजन :–

1. सभी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन राज्य में गैर शासकीय संस्थाओं/समुदाय आधारित संगठनों/राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं के माध्यम से संचालित महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के कार्य क्षेत्र में पशु सखी मॉडल को समाहित करने हेतु प्लॉन एवं बजट तैयार कर ग्रामीण विकास मंत्रालय को निम्नालिखित जानकारियों सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।
    - प्रत्येक ग्राम में प्रति 50 से 100 पशुपालकों को सुविधा प्रदान करने हेतु एक पशु सखी की पहचार करना।
    - पशु सखी ग्राम संगठन की प्रति जवाबदेय होगी।
    - पशु सखी की संवहनीयता हेतु रेवेन्यू मॉडल तैयार करना।
    - पशु सखी के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन हेतु स्पष्ट रणनीति तैयार करना
2. राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षित माडयूल पर पशु सखी का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन सुनिश्चित करेगे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा पशु सखी के प्रशिक्षण एवं सहयोग हेतु विशेषज्ञ संस्था का चयन किया जायेगा।
3. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पशु सखी के सहयोग हेतु जिला, विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर आवश्यक सहयोग संरचना विकसित करेंगे।
4. पशु सखी मॉडल विस्तार हेतु रणनीति तैयार करना जिससे इस मॉडल को अन्य विकासखण्डों में विस्तार हेतु स्थानीय स्तर तैयार मॉस्टर प्रशिक्षण, भ्रमण सह इमर्शन साईड आदि तैयार हो सके।
5. संबंधित विभागों से समन्वक हेतु तरीका विकसित करना।

प्रतिवेदन की प्रक्रिया:–

- कार्ययोजना अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा।
- प्रत्येक प्रशिक्षण में कार्यदिवस हेतु पृथक–पृथक प्रतिवेदन तैयार किया जाये।
- प्रत्येक माह के अंत में 28 तारीख को प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावें।
- कार्ययोजना अनुसार प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न होने के उपरांत समस्त प्रतिवेदनों सहित पशुसखी की उपस्थिति सीएलएफ/ग्राम संगठन की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाये।
- ग्राम संगठन समूह के अनुमोदन पशुसखी के मानदेय संबंधित ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से सात दिवस के भीतर किया जायेगा।
- जिन विकासखण्डों में अभी ग्राम संगठन नहीं बना है वहां पशुसखी को मानदेय का भुगतान उपस्थिति के आधार पर सीधे विकासखण्ड इकाई/जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा पशुसखी के बैंक खाते में किया जावेगा।
- विकासखण्ड कार्यालय 07 दिवसों में भुगतान की कार्यवाही पूर्ण करेगा।

पशुसखी को कार्य से हटाने हेतु मापदंड एवं प्रक्रिया:–

- पशुसखी द्वारा अपने कार्य एवं दायित्वों का बखूबी निर्वहन नहीं किया जा रहा हो।
- प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है या अपूर्ण जानकारी देकर केवल खानापूर्ति की जा रही हो।
- फर्जी प्रशिक्षण प्रतिवेदन तैयार कर देयक प्रस्तुत किये जा रहे हो।
- उक्तानुसार गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर ग्राम संगठन की अनुशंसा पर संकुल स्तरीय संगठन/बीएमएमयू द्वारा किसी भी समय बगैर किसी नोटिस के उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(भोस्कर विलास संदीपन)
राज्य मिशन संचालक, NRLM
विकास आयुक्त कार्यालय